फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– नारायण

विपक्षी :– भेरा

किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ.

पत्रावली संख्या : 175 / 17

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 29.01.2018

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। विपक्षी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल नागदा उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार कर बंटवाडे पर सहमति जाहिर की हैं। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। मूल वाद स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका हैं। बंटवाडें हेतु वाद व प्रतिवादीगण आपस में सहमत हैं। अतः मूल वाद में बंटवाडा होकर अन्तिम डिक्री जारी होने तक उभय पक्ष को पाबंद किया जाना उचित हैं। प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां की आराजी न. 732, 752, 753, 1973 / 1886, 1983 / 755 कुल किता 5 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि मे उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड को यथास्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर आज दिनांक 29.01.2018 को सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर (राज.)
सत्यमेव जयते